

-प्रेस नोट-
जनपद मुजफ्फरनगर
दिनांक 28.08.2025

❖ **थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 28.08.2025 को थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0-351/2025 धारा 74/75(2)/115(2)/331(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र सतपाल निवासी ग्राम चौचड़ा थाना असंद जिला करनाल हरियाणा को मुखबिर की सूचना पर खतौली तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

❖ **थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार-**

दिनांक 28.08.2025 को थाना पुरकाजी पर नियुक्त उ0नि0 श्री राजीव सिंह मय हमरागीहण द्वारा मु0अ0सं0-145/2025 धारा 109(1)/61(2) बीएनएस बीनएस में वांछित अभियुक्तगण 1. सतवीर उर्फ चंकी पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम कैल्लनपुर थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर 2. मोहित पुअफ कन्हैया पु सहेन्दर सिंह निवासी मुडलाना थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर 3. योगेस उर्फ जोगी पुत्र बिरम पाल निवासी ग्राम सिकन्दरपुर मुवाल थाना मंगलौर, मुजफ्फरनगर 4. धीरज पवार उर्फ लल्लू पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम मेघा थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर को शराब ठेका कैल्लनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू तथा 01 मोटरसाईकिल (बिना नंबर) बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

❖ **थाना जानसठ पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 28.08.2025 को थाना जानसठ पर नियुक्त उ0नि0 श्री मोहित कुमार मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0- 600/24 धारा 82 बीएनएस में वांछित अभियुक्त कासिम पुत्र महाराज निवासी मौहल्ला बुद्ध बाजार कुरैशियान कस्बा व थाना सरधना मेरठ को थानाक्षेत्र जानसठ से गिरफ्तार किया गया।

❖ थाना शाहपुर पुलिस द्वारा वादी/पीडित का जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन कराने का प्रयास करने वाले तथा धोखाधड़ी कर सम्पत्ति हडपने वाले 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया-

दिनांक 28.08.2025 को थानाध्यक्ष शाहपुर श्री मोहित चौधरी मय हमराहीगण द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत ममु0अ0सं0 248/2025 धारा 61(2)/125(b)/118(2)/119(1)/318(4)/351(3)/127(7)/109(1) बीएनएस व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में वांछित तथा वादी/पीडित का जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन कराने का प्रयास करने वाले तथा धोखाधड़ी कर सम्पत्ति हडपने वाले 05 अभियुक्तगण 1- यामीन पुत्र उमरदीन, निवासी ग्राम किनौनी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर, हाल पता ग्राम सांझक थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 42 वर्ष 2-गुलजार पुत्र उमरदीन, निवासी ग्राम किनौनी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर, हाल पता ग्राम सांझक थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 29 वर्ष 3- इकराम पुत्र चूना निवासी अलीपुर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता मिमलाना रोड कोतवाली नगर थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 30 वर्ष 4- हाफिज शहनवाज पुत्र सलीमुद्दीन निवासी ग्राम तावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 59 वर्ष 5- नाई मुर्शीद पुत्र नवाब निवासी बुढीना खुर्द थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से एक गाडी मारुती अर्टीगा नम्बर UP12CT7101 (पीडित से धोखाधड़ी कर हडपी गई), 01 महेन्द्रा अर्जुन ट्रैक्टर तथा एक उस्तरा (घटना में प्रयुक्त) बरामद किया गया।

❖ थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड एक शातिर गौकश अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

दिनांक 28.08.2025 को थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0-355/2025 धारा 109(1), 317(5) बीएनएस व 3/25/28 आयुध अधिनियम में वांछित तथा शातिर गौकश अभियुक्त दीन मौहम्मद उर्फ दीनू पुत्र यूनस निवासी सफीपुर पट्टी कस्बा व थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को दौराने पुलिस मुठभेड खतौली-बुढ़ाना मार्ग से घायल/गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक मोटरसाईकिल बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-355/2025 धारा 109(1), 317(5) बीएनएस व 3/25/28 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

❖ थाना भौराकलां व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड़ एक शातिर वांछित तथा इनामी अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

दिनांक 28.08.2025 को थानाध्यक्ष भौराकलां श्री मानवेन्द्र भाटी मय एसओजी टीम मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 45/2025 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित तथा 15000 के इनामी अभियुक्त बृजनन्दन उर्फ मंगल उर्फ मेजर पुत्र जयपाल निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना, शामली, उम्र करीब 40 वर्ष को दौराने पुलिस मुठभेड़ कुरावा-जैतपुर मार्ग से घायल/गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1200/- रुपये नगद (थाना भौराकलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2025 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित), 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट तथा 01 तमंचा मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भौराकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 77/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

❖ थाना चरथावल पुलिस द्वारा नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद-

दिनांक 28.08.2025 को थाना चरथावल पर नियुक्त उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0- 214/2025 धारा 123/137(2)/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. दानिश पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर 2. साहिल पुत्र हसन अब्बास निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिकन्दरपुर मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त) बरामद की गयी।

❖ थाना छपार व कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले अनुदानित सरकारी यूरिया (खाद) से डीजल वाहनों में प्रयोग होने वाला नकली डी0ई0एफ0 (डीजल एग्जास्ट फल्यूड) बनाने की फैक्ट्री जब्त करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 28.08.2025 को थानाध्यक्ष छपार श्री गजेन्द्र सिंह मय हमराहीगण व कृषि विभाग मुजफ्फरनगर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले अनुदानित सरकारी यूरिया (खाद) से डीजल वाहनों में प्रयोग होने वाला नकली डी0ई0एफ0 (डीजल एग्जास्ट फल्यूड) बनाने की फैक्ट्री जब्त करते हुए एक अभियुक्त साकिब उर्फ सादिक पुत्र श्री तालिब आरिफ ग्राम-खुड्डा, थाना छपार, मुजफ्फरनगर को सहकारी संघ लिमिटेड छपार, उप केन्द्र खुड्डा के पीछे परिसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 55 बैग यूरिया (नीम लेपित), आई०पी०एल० ब्रान्ड, 28 बाल्टी डी०ई०एफ० (प्रति बाल्टी 20 लीटर) विभिन्न ब्रान्ड (14 बाल्टी भारतबैन्ज, 06 बाल्टी गल्फ ए०एल०, 08 बाल्टी आईसर), 18 कैन डी0ई0एफ0 (प्रति कैन 2.5 लीटर), 01 महेन्द्र पिकअप यू०पी012 सी०टी-1279 तथा 300 खाली बैग अनुदानित यूरिया (आई०पी०एल० व इफको ब्रान्ड) बरामद किये गये। पुलिस टीम द्वारा परिसर को सील किया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 239/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि० व 318(4) बीएनस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।